



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग-8)



(दूरभाष 0141-2227229, Email Id : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/अनु-8/वीसी/2022

जयपुर, दिनांक :- 28/06/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद समस्त, (राजस्थान)।

विषय :- दिनांक 01.07.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) आयोजन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2022 को 3.00 बजे से 06.00 बजे तक ग्रामीण विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु ग्रामीण विकास के समिति कक्ष, उत्तर-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के माध्यम से (NIC द्वारा) बैठक आयोजित की जावेगी।

वी.सी. समीक्षा हेतु एजेण्डा निम्नानुसार रहेगा :-

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना :-

- अमृत सरोवर अभियान।
- पंचशाला।
- ग्रामीण विकास पथ।
- अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना।
- रिजेक्टड ट्राक्जेशन।
- एरिया ऑफिसर ऐप।
- एनएमएमएस।
- मानव दिवस सृजन।
- 100 दिवस पूर्ण किये जाने वाले परिवार।
- अन्य बिन्दु-रोजगार दिवस का आयोजन, मेट रोटेशन/पैनल/ट्रेनिंग/महिला मेट।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति पर चर्चा।

3. विधायक/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास, डांग/मगरा/मेवात, महात्मा गांधी जन भागीदारी, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि/स्व-विवेक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजनाओं में अर्जित भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं लम्बित यूसी/सीसी पर चर्चा।


4. बजट वर्ष 2022-23 में सम्मिलित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा।

उक्त समीक्षा बैठक में संबंधित राज्य स्तरीय विभागीय अधिकारी एवं जिला स्तर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीशाषी अभियन्ता तथा पंचायत समिति स्तर से खण्ड विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के माध्यम से (NIC द्वारा) अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें।

(के. के. पाठक)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 6 जिला कलक्टर समस्त।
- 7 परि. निदे. एवं शासन उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
- 8 परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, एसएपी, ग्रामीण विकास।
- 9 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
- 10 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त को भेज कर अनुरोध है कि अपने अधीन समस्त विकास अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने पाबन्द करें।
- 11 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) को वी.सी. हेतु स्लोट बुक करने हेतु।
- 12 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि को जल-पान आदि की व्यवस्थार्थ।
- 13 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

  
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव  
(मो. एवं मू.)